• फलोदी • भोपालगढ़ • ओसियां • लोहावट • शेरगढ़ • बालेसर • पीपाड़ • बिलाड़ा • बावड़ी • मथानिया • तिंवरी • लूणी

क्विक रीड

सूर्यपुत्र शनि देव की जयंती पर हुए कई कार्यक्रम

भोपालगढ़ (ब्यूरो): शहर के भार्गव मोहल्ले में सूर्यपुत्र शनि देव की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए।मंदिर अध्यक्ष धर्मा राम भार्गव ने बताया कि सूर्य पुत्र शनिदेव की जयंती पर मंदिर को सजाया गया,शाम को एक शाम शनिदेव के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया।जिसमे भजन गायक लूणा राम मेघवाल एंड पार्टी ने भजनों की सरिता बहाई ।इसके साथ शाम को पुजारी रवि एवम कैलाश ने महाआरती का आयोजन कर प्रसादी का आयोजन किया गया।इस दौरान मंदिर के अध्यक्ष धर्माराम भार्गव, इंदरचंद, सत्यनारायण, सावर लाल, राजू पेंटर, सुमेर चंद, दिनेश अभिषेक,कालूराम एवं भार्गव समाज के समाज के साथ मूला राम प्रजापति, शिंभू भाई एवम ग्रामीण मौजूद थे।

डोडा-पोस्त बरामद, एक गिरफ्तार

बाप (ब्यूरो): फलोदी जिले की नोख पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 11 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है।पुलिस अधीक्षक फलोदी पूजा अवाना ने बताया कि जिले में अवैध मादक पदार्थो की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दौरान नोख थाना अधिकारी मनोज कुमार मय टीम द्वारा शुक्रवार को मुखबिर की सूचना पर जेठाराम पुत्र मुलाराम माली निवासी नोख के रहवासी घर पर दबिश दी गई। पुलिस ने उसके घर से 11 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा पोस्त बरामद कर आरोपी जेठाराम को गिरफ्तार कर लिया। कार्यवाही टीम में थानाधिकारी मनोज कुमार, कांस्टेबल भरमलराम, चन्द्रभान, दिनेश, कैलाश, जयराम, महिला कांस्टेबल प्रियंका व चालक रामलाल शामिल रहे।

महिला का नहाते हुए वीडियो बनाकर किया वायरल

जोधपुर (ब्यूरो): महिला के अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल करने का मामला फलोदी जिले के भोजासर थाने में दर्ज हुआ है। आरोप है कि महिला का नहाते हुए अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। महिला ने पुलिस को बताया कि गत चार जून को वह अपने घर पर नहा रही थी। उस दौरान आरोपी नेवरा पुलिस थाना मथानिया निवासी स्वरूप राम पुत्र भूराराम प्रजापत व चैनाराम पुत्र जगदीश प्रजापत ने उसका नहाते समय अश्लील वीडियो बना दिया। आरोपियों ने वीडियो को कई ग्रुप में वायरल कर दिया। पता चलने पर महिला ने मामला दर्ज करवाया है।

चाकू लेकर घूम रहे चार युवक गिरफ्तार

जोधपुर (ब्यूरो): शहर पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से धारदार चाकू लेकर घूम रहे चार युवकों को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार किया है। प्रतापनगर सदर थाने के एसआई देवाराम ने श्मशान रोड़ काली टंकी के पास धारदार चाकू लेकर घूम रहे लखन पुत्र शेर खान और राजीव गांधी नगर थाने के हैडकांस्टेबल बाबूलाल ने अरिहंत नगर के पास धारदार चाकू लेकर घूम रहे किशन शर्मा पुत्र संजय कुमार श्र्मा को आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार किया। वहीं बासनी थाने के एएसआई धनाराम ने अपना बाजार चौराहा बासनी सैंकण्ड फेस के पास धारदार चाकू लेकर घूम रहे भाटों की ढाणी पाली हाल झोपड़ पट्टी कुड़ी भगतासनी निवासी राजस पुत्र रणजीत भाट को आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार किया। सरदारपुरा थाने के हैडकांस्टेबल मूलचंद ने नेहरू पार्क के पीछे वाली रोड़ पर धारदार चाकू लेकर घूम रहे मोहम्मद किताबुदीन उर्फ फिरोज पुत्र मोहम्मद हजीब को आम्र्स एक्ट में गिरफ्तार किया।

घर के बाहर खड़ी कार व बाइक चोरी

जोधपुर (ब्यूरो): अलग-अलग स्थानों से एक कार व बाइक चोरी हो गई। भगत की कोठी थाने में दी रिपोर्ट में रातानाड़ा भाटी सर्कल हाल सरस्वती नगर बासनी प्रथम निवासी जय बोराणा ने बताया कि 5 से 6 जून के बीच में सरस्वती नगर ए सेक्टर में खड़ी उसकी हुंडई कार को अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। वह यहां पर किराए पर रहता है। पुलिस अब आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज से कार चोरी की पहचान के साथ तलाश में जुटी है। वहीं करवड़ थाने में दी रिपोर्ट में ढगलाराम पुत्र मांगीलाल जाट ने पुलिस को बताया कि गांव में खड़ी उसकी बाइक को अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया।

निगम ने सड़क सीमा में रखा सामान जब्त किया

जोधपुर (ब्यूरो): नगर निगम उत्तर की अतिक्रमण निरोधक टीम ने शुक्रवार को कार्यवाही करते हुए सड़क सीमा में अवैध रूप से रखे सामानों को जब्त किया। नगर निगम उत्तर के उपायुक्त ने बताया कि अतिक्रमण प्रभारी रवि प्रकाश बारासा की रिपोर्ट अनुसार सड़क सीमा पर हो रहे अतिक्रमण को हटाने के लिए शुक्रवार को अतिक्रमण टीम द्वारा नागौरी गेट मैन चौराहे से कागा रोड, महामन्दिर तक अस्थाई अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान रो पर लगे अवैध ठेलों को हटवा कर जब्त किया गया। इसी प्रकार दुकानों के बाहर सड़क सीमा पर रखे सामानों को हटवा कर एक ट्रैक्टर सामान जब्त किया गया। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण की कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

माली समाज संस्थान के पूर्व अध्यक्ष धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार

■ लॉकडाउन के दौरान दफ्तर बंद, फिर भी 2.30 लाख जमा कराना बता डकार लिए रुपए

■ कभी एनओसी के नाम पर तो कभी उधार के नाम पर लाखों रुपए हड़पने के आरोप

भोपालगढ़, 7 जून (ब्यूरो): स्थानीय माली समाज संस्थान के पूर्व अध्यक्ष हीरादेसर रोड निवासी हीराराम सोलंकी को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने संस्थान में हेरफेर कर लाखों रुपए हड़प लिए और इसका खुलासा तब हुआ, जब नए अध्यक्ष ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद हिसाब-किताब की जांच की। भोपालगढ़ पुलिस ने बताया कि उस्तरा निवासी रामजीवन सोलंकी पुत्र भंवरलाल की ओर से सितंबर 2022 में इस्तगासे के जरिए दी रिपोर्ट में बताया कि वे 5 दिसंबर 2021 से माली समाज संस्थान भोपालगढ़ के निर्वाचित अध्यक्ष हैं। माली समाज संस्थान शहर में ही श्री सैनी शिक्षण संस्थान भूरियाली की ढाणी स्कूल का संचालन करती है। परिवादी ने कार्यभार संभालने के बाद हिसाब-किताब की जांच की, तो इसमें फर्जी व गलत वाउचर बनाकर लाखों रुपए की अनियमितताएं होना सामने आया। यहां तक कि माली समाज सब्जी मंडी भोपालगढ़ से संस्थान के नाम पर लाखों रुपए उधार लेकर उस राशि को भी संस्थान में जमा नहीं किया गया।

ऑडिट कराने पर सामने आया कि 2 दिसंबर 2021 की एक रसीद से आरोपी हीराराम ने 2.30 लाख रुपए स्कूल की एनओसी के लिए उठाए, लेकिन यही राशि आयुक्तालय में जमा कराने की कोई रसीद नहीं मिली। परिवादी ने आयुक्तालय जाकर पड़ताल की, तो पता चला कि उन दिनों लॉकडाउन के चलते कार्यालय ही बंद था और ऐसी कोई राशि जमा होने का प्रश्न ही नहीं था। इतना ही नहीं आरोपी ने व्यक्तिगत रूप से बिना कोई राशि जमा कराए एनओसी ले ली थी। यह कृत्य भी उस वक्त किया गया था, जब संस्थान की चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के चलते 1 दिसंबर 2021 को आचार संहिता भी लागू हो चुकी थी, तो बिना संस्थान की बैठक बुलाए आरोपी को इतनी बड़ी राशि उठाने का अधिकार भी नहीं था।

इसी तरह, आरोपी ने माली समाज सब्जी मंडी भोपालगढ़ के अध्यक्ष बाबूलाल देवड़ा को 31 अक्टूबर 2021 को एक लाख रुपए देना बताया। इस बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि माली समाज सब्जी मंडी से आरोपी ने 4 लाख रुपए संस्थान के नाम पर लिए थे और उसी की एवज में बाबूलाल देवड़ा को एक लाख रुपए वापस लौटाए गए थे। इन 4 लाख रुपए की छानबीन की, तो संस्थान में इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। ऐसे ही 1.43 लाख रुपए एक अन्य वाउचर के जरिए उठाए गए, लेकिन बिजली घर में ऐसी कोई राशि जमा नहीं कराई गई थी और न ही इसकी रसीद ही संस्थान में मिली। 14 नवंबर 2021 को भी स्कूल एनओसी के नाम पर 2 लाख 35 हजार 400 रुपए एक अन्य वाउचर बनाकर हड़प लिए गए। इतना ही नहीं, स्कूल की तीन साल का इंश्योरेंस नवीनीकरण कराने पर पता चला कि पिछले साल इंश्योरेंस के लिए कुल 1 लाख 87 हजार 971 रुपए नकद वाउचर से भुगतान करना दर्शाया गया था, जबकि परिवादी ने नवीनीकरण के लिए 90 हजार रुपए ही चैक से भुगतान किए थे। यानी, इसमें भी अतिरिक्त राशि दर्शा कर गबन किया गया था। एक बार तो आरोपी ने बिजली विभाग के गलत बिल को सही करवाने के नाम पर ही कागजों में हजारों रुपए की रिश्वत देना दर्शाकर घोटाला करने से परहेज नहीं किया।

जोनल अध्यक्ष का किया स्वागत

जोधपुर, 7 जून (ब्यूरो): नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉइज यूनियन डेगाना शाखा की शाखा परिषद की बैठक गणगौर होटल में आयोजित की गई, जिसमें यूनियन के जोनल अध्यक्ष मनोज परिहार का स्वागत किया गया।

बैठक को सम्बोधित करते हुए ज़ोनल अध्यक्ष मनोज कुमार परिहार ने बताया कि नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करना, सभी कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर 8 घंटे करने, ट्रैकमैन कैटगरी के लिए जल्द से जल्द इंटेक कोटा शीघ्र लागू करवाने आदि मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक को जसवीर सिंह चौधरी, डेगाना शाखा सचिव बीएल भाटी, उपाध्यक्ष नेमाराम पोषक, कोषाध्यक्ष सियाराम मीणा, मेड़ता रोड शाखा सचिव राजेश पोसवाल, अवधेश कुमार आदि ने भी सम्बोधित किया। बैठक की अध्यक्षता डेगाना शाखा अध्यक्ष विनोद कुमार सुण्डां ने करते हुए शाखा की सम्बंधित समस्याओं को जोनल अध्यक्ष के सामने रखा। बैठक में उपाध्यक्ष पूरणमल मीणा, अशोक कुमार जाखड़, अवधेश कुमार, धनसिंह नरुका, बन्ना राम, रामकुमार मीणा, ओमप्रकाश गुर्जर, ओबीसी डेगाना शाखा के सचिव लालाराम गोदारा, सुभाष कुमार, कैलाश प्रजापत, उमाराम चौधरी, हजारीलाल मीणा, रामनिवास बाजियां, सीएल मीणा, शिवराम चौधरी, उमाराम जडावता, रामनिवास शील, किसना राम आदि मौजूद रहे। मंच संचालन असलम खान ने किया।

जेडीए ने अवैध निर्माण कार्यों को करवाया बंद

जोधपुर, 7 जून (ब्यूरो): जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा शुक्रवार को ग्राम जोधपुर के खसरा संख्या 632/1 से 632/11, 632/33 व 632/34 में कार्यवाही करते हुए अवैध एवं अनाधिकृत रूप से चल रहे निर्माण कार्यों को बंद करवाया गया।

जेडीए तहसीलदार जोन द्वितीय मंजू देवासी के निर्देशानुसार दस्ते द्वारा ग्राम जोधपुर के विभिन्न खसरों का मौका निरीक्षण करते हुए खसरा सं. 632/2 में तिरूपति विला एवं खसरा सं. 632/11 पार्क रेजिडेन्सी कॉलोनी में अवैध रूप से चल रह निर्माण कार्यों को बंद करवाकर निर्माण में काम आने वाले औजारों को जब्त किया गया। साथ ही दस्ते द्वारा अप्रार्थियों को सख्त हिदायत दी गई कि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना नहीं करें। प्राधिकरण की बिना सक्षम स्वीकृति एवं बिना भू-उपयोग परिवर्तन करवाए किसी प्रकार का अवैध निर्माण नही करें अन्यथा प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही के दौरान प्रवर्तन अधिकारी पूर्व प्रवीण गहलोत, पटवारी सुरेन्द्र सिंह मय अतिक्रमण दस्ता मौजूद रहा।

कलक्टर ने समस्याओं को लेकर किया ग्रामीणों से संवाद

चौपाल में आई समस्याओं का अधिकारियों को मौके पर ही दिए निस्तारण के निर्देश

बाप, 7 जून (ब्यूरो): फलोदी कलेक्टर हरजी लाल अटल की अध्यक्षता में गुरुवार को बाप उपखंड के नोख ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। रात्रि चौपाल में जिला कलेक्टर ने ग्रामीणों के परिवाद सुने और अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं का समाधान करने के निर्देश दिए। रात्रि चौपाल में हुई जनसुनवाई में पानी, बिजली, मनरेगा में जॉब कार्ड बनाने, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न विभागों से जुड़े दो दर्जन से अधिक प्रकरण प्राप्त हुए।

कलेक्टर ने कहा कि ग्रामीणों की पेयजल आपूर्ति और बिजली से जुड़ी समस्याओं को हर संभव समयबद्ध तरीके से निस्तारित किया जाना सुनिश्चित किया जाये। जन सुनवाई में सामने आया कि नोख पंचायत क्षेत्र में करीब 200 अवैध कनेक्शन है। जिससे पेयजल व्यवस्था प्रभावित है। जिला कलक्टर हरजीलाल अटल ने अवैध कनेक्शनो पर नाराजगी जताते हुए संबधित विभाग के अधिकारियों को अवैध कनेक्शनों को चिन्हित कर उन्हे हटाने के निर्देश दिये। साथ ही कहा कि अगर कोई पुन: अवैध कनेक्शन करता हैं तो संबंधित के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाए। जिला कलक्टर ने पीएम आवास योजना में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। उन्होंने नोख ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी भूमि पर हुए अतिक्रमण की जानकारी लेने के बाद राजकीय भूमि पर हो रखे अतिक्रमण को चिन्हित करने तथा सक्षम स्तर पर स्वीकृति लेकर अतिक्रमणों को हटाने को कहा। रात्रि चौपाल में बाप उपखंड अधिकारी सुनील पंवार, बाप तहसीलदार शिव प्रसाद शर्मा, बीडीओ सहित विभिन्न 16 विभागों के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जलदाय विभाग ने पेयजल समस्याओं का किया निस्तारण

जोधपुर, 7 जून (ब्यूरो): जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने कई स्थानों पर पेयजल समस्याओं का निस्तारण किया है।

जलदाय विभाग ने चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 1 व 2 में कम दबाव से जलापूर्ति की शिकायतें प्राप्त होने पर कार्यवाही की है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता जगदीश चन्द्र व्यास ने बताया कि चौपासनी हाउसिंग बोर्ड के सेक्टर 1 से सेक्टर 10 में सुबह 6.30 बजे से 10 बजे तक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार एकांतरे जलापूर्ति की जा रही है। इसी क्रम में 2 जून को सेक्टर 1 व 2 में कम दबाव की शिकायत प्राप्त होने पर कार्यवाही करते हुए आगामी सप्लाई से पर्याप्त दबाव से जलापूर्ति की गई। वहीं शोभावतों की ढाणी से एम्स की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर पानी की बर्बादी की सूचना पर विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए लीकेज को दुरुस्त किया गया। व्यास ने बताया कि शोभावतों की ढाणी से एम्स की तरफ जाने वाली मुख्य सड़क पर विभागीय पाइपलाइन में लगे एयर वॉल्व में हो रहे लीकेज की खबर पर संज्ञान लेते हुए विभाग द्वारा तत्परता से दुरुस्त कर दिया गया।

इसी तरह लूणी जलदाय हौद में कम मात्रा में पानी सप्लाई की सूचना पर कार्यवाही करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग जिला वृत्त के अधीक्षण अभियन्ता अजय किशन छंगाणी ने बताया कि कुड़ी हौद फिल्टर प्लान्ट से मोगड़ा गांव के निकट 8/6 इंच की लाइन की टेपिंग लूणी गांव की जलापूर्ति के लिए की गई है। इसमें कई गांवों को जाने वाली पाइप लाइनें जुड़ी हुई है जिनकी सप्लाई भी समानांतर चलती है। बिना पानी की बारी के अन्य गांवों में पानी सप्लाई के लिए वॉल्व खोलने से लूणी गांव में भी पेयजल आपूर्ति लगभग नगण्य हो गई है। उन्होंने बताया कि संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशाषी अभियन्ता को पाबन्द कर जलापूर्ति के दौरान सघन मॉनिटरिंग करने के लिये निर्देशित किया गया है।

सुबह दो बार आई आंधी, हल्की बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा

बाप, 7 जून (ब्यूरो): अलसुबह मौसम का मिजाज बदलने के साथ तड़के चार बजे धूल भरी आंधी चली। आधे घंटे तक चली आंधी थमी, तो कुछ ही देर में काले घने बादल भी छा गये। सुबह पौने छह बजे एक बार फिर आंधी आ गई। इसके कुछ देर बाद ही बरसात शुरू हो गई। रिमझिम हल्की बरसात का दौर करीब 20 मिनट चला। जिससे शुक्रवार की सुबह खुशनुमा हो गई। शीतल बयार आमजन को प्रफुलित कर रही थी। दिन चढ़ने के साथ बादल भी छंट गए। धूप निकलने के बाद वातावरण में उमस बढ़ गई, जिससे लोग पसीने से तरबतर रहे। शाम पांच बजे के बाद आसमान में बादल घिर आए थे।

मतोड़ा डाकपाल ओझा ने कार्यभार संभाला

देणोक , 7 जून (ब्यूरो): क्षेत्र के मतोड़ा पोस्ट ऑफिस में डाकपाल मोहित ओझा ने कार्यभार संभाला है। जैसलमेर अधीक्षक के आदेशानुसार रमेश कुमार विश्नोई ने गुरूवार को डाकघर मतोड़ा में शाखा डाकपाल पद पर मोहित ओझा को कार्यभार सौपा। इस दौरान ग्रामीणों ने ओझा का साफा पहनाकर स्वागत किया। विश्नोई ने सम्बोधित करते हुए कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक खाते खोलने, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाक जीवन बीमा, सुकन्या समृद्धि योजना सहित डाक विभाग में भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि डाकघर में आने वाला प्रत्येक ग्राहक हमारे लिए आदरणीय है। हम उन्हीं की सेवा के लिए डाक विभाग में कार्यरत हैं। इस दौरान ओमप्रकाश जोशी मतोड़ा भंवरसिंह भाटी, आज्ञाराम ओझा, राजु जोशी, प्रकाश गिरी, रामप्रसाद सारस्वत, शैतानसिंह आऊ, सुनिल ओझा, गोपाल सारस्वत गोपाल प्रजापत, अनित ओझा, गणेश, रितेश ओझा इत्यादि मौजूद थे।

गौशालाओं को लेकर संभागीय आयुक्त ने जताई नाराजगी

समीक्षा बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारी नहीं बता सके संभाग में संचालित कुल गौशालाओं की संख्या

जोधपुर, 7 जून (ब्यूरो): संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा की अध्यक्षता में पेयजल, विद्युत, पशुपालन, मौसमी बीमारियों, हीटवेव से बचाव एवं जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की शुक्रवार को संभागीय आयुक्त के कक्ष में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। संभागीय आयुक्त ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों द्वारा संभाग में संचालित कुल गौशालाओं की संख्या से अवगत नहीं करवाने पर नाराजगी व्यक्त कर निर्देशित किया कि गौशालाओं में गौवंश के लिए पर्याप्त छाया, पानी, चारा एवं दवाइयों की व्यवस्था सुनिश्चित करे। साथ ही गौशालाओं का जिला स्तरीय अधिकारियों एवं तहसीलदारों से भौतिक सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पशुओं को मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने एवं गौशालाओं के बकाया भुगतान शीघ्र करवाने के निर्देश दिए। मेहरा को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने अवगत करवाया कि वर्तमान में हीटवेव से प्रभावित कोई नया मरीज नहीं आया है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा डेंगू एवं मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्कता के साथ कार्य कर रहा है। आगामी मौसमी बीमारियों को देखते हुए दवाइयों एवं पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था कर ली है। मेहरा ने अधिकारियों की निर्देश दिए कि आमजन को कोई परेशानी नहीं हो, इसके लिए विभाग माकूल व्यवस्था करे।

संभागीय आयुक्त मेहरा ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जोधपुर सहित संभाग में पर्याप्त एवं निर्बाध विद्युत सप्लाई की व्यवस्था सुनिश्चित करे। इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाशत नहीं की जाएगी। संभागीय आयुक्त ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों से पेयजल की आपूर्ति, ट्यूबवेल कनेक्शन की वर्तमान स्थिति सहित अवैध कनेक्शनों पर की जा रही कार्यवाही की जानकारी ली। बैठक में पशुपालन विभाग के अतिरिक्त निदेशक मन मोहन नागौरी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. कमलेश, जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता एमएम सिंघवी, एमएल बेंदा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीक्षण अभियंता जेसी व्यास, अजय किशन छंगाणी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जीआईसी हाउसिंग फाइनेन्स लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय/शाखा कार्यालय: जीआईसीएचएफएल, नेशनल इन्श्योरेन्स बिल्डिंग, छठी मंजिल, जे.टी.रोड, एस्प्लेनेड होटल के आगे फोर्ट, मुम्बई, 400020.
टेली: (022) 43041900, ई-मेल : corporate@gichf.com वेबसाईट : www.gichfindia.com
जोधपुर शाखा: पीआरएच टॉवर, प्लॉट नं. 947, भूतल, 10 डी रोड, सरदारपुरा, जोधपुर- 342003.
सम्पर्क : 0291-2620702/2610902, ईमेल : jodhpur@gichfindia.com

ई-नीलामी बिक्री सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जीआईसीएचएफएल) का प्राधिकृत अधिकारी है, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के निम्नलिखित खातों/ संपत्तियों को ऋणकर्ताओं को डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उनसे उक्त नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने का आह्वान किया गया था। हालाँकि, ऋणी/ संपत्तिकर्ता उक्त देय राशि चुकाने में असफल रहे हैं, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं. / कर्जदार / सह-कर्जदार / जमानतदार का नाम	बंधक सम्पत्ति का पता	मांग सूचना जारी दिनांक	भौतिक कब्जे की दिनांक	दि. 31.05.2024 तक कुल बकाया (दीर्घकाल, ब्याज एवं अन्य शुल्कों सहित) राशि में	आरक्षित मूल्य (रुपये में)
1.	सम्पत कुमार एवं सोनिया देवी और अमित कुमार जोशी, RJ0480610002280 जोधपुर शाखा	प्लॉट नंबर 264, खसरा नंबर 251, महादेव नगर, खोखसिया, बनाड़ रोड, जोधपुर 342027, भूमि क्षेत्रफल 1080 वर्गफीट एवं निर्मित क्षेत्रफल (ग्राउण्ड फ्लोर) 600 वर्गफीट, सीमाएं:- उत्तर: प्लॉट सं. 255, दक्षिण: 25 फीट चौड़ी रोड, पूर्व: प्लॉट सं. 265, पश्चिम: प्लॉट सं. 263	27.07.2021	21.10.2022	2502893/-	1681000/-
2.	राहुल खान एवं मंजू बानो, RJ0480610001894 & RJ0480610002064, जोधपुर शाखा	प्लॉट नंबर 286-बी, खसरा नंबर 251, महादेव नगर, खोखसिया, बनाड़ रोड, जोधपुर 342027, भूमि क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट एवं निर्मित क्षेत्रफल (ग्राउण्ड फ्लोर+ फर्स्ट फ्लोर) 1600 वर्गफीट, सीमाएं:- उत्तर: प्लॉट सं. 286-सी, दक्षिण: प्लॉट सं. 286-ए, पूर्व: प्लॉट सं. 348-बी, पश्चिम: 25 फीट रोड	27.07.2021 & 29.04.2022	26.11.2022	4237309/-	2910000/-

ई-नीलामी की तिथि और समय: 26.06.2024 वेब-पोर्टल (https://www.bankauctions.in) पर सुबह 2.00 बजे से 03:00 बजे तक। प्रत्येक 5 मिनट के अतिरिक्त विस्तार के साथ।
ईएमडी और केवाईसी के साथ निर्धारित निविदा प्रपत्र में अभिलाइन मोड के माध्यम से या उपर्युक्त जीआईसीएचएफएल कार्यालय में बोली जमा करने/नीलामी बोली लगाने की अंतिम तिथि 24.06.2024 को या उससे पहले। उपरोक्त संपत्तियों/आस्तियों की ई-नीलामी बिक्री के लिए इस सार्वजनिक सूचना के अलावा (सरफेसी, अधिनियम 2002 और उसके तहत नियमों के नियमों और शर्तों के अनुसार) जीआईसीएचएफएल उन संपत्तियों को 'जैसा है जहां है' और 'जैसा है जो है' के आधार पर खरीदने के लिए नीलामेदार/खरीदार से या अभिलाइन मोड में प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

नीलामी बिक्री की नियम एवं शर्तें निम्न है:-

1. ई-नीलामी 'जैसा है जहां है', 'जैसा है जो है', 'जो भी है' और 'अनिश्चित' के आधार पर आयोजित की जा रही है और 'अभिलाइन' आयोजित की जाएगी। ई नीलामी जीआईसीएचएफ द्वारा अनुमोदित ई नीलामी सेवा प्रदाता 'मैसर्स 4 क्लोजर' के माध्यम से आयोजित की जाएगी।
2. इच्छुक बोलीदाताओं को अपना नाम पोर्टल https://bankauctions.in/ पर पंजीकृत करना होगा और अपना यूजर-आईडी और पासवर्ड कि शुल्क प्राप्त करना चाहिए। संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स 4 क्लोजर, अहिलेट, हैदराबाद, सेल लाइन: 040-23736405 और +91-8142000062/66, श्री प्रकाश, नंबर 8142000064, ईमेल आईडी prakash@bankauctions.in, श्री उत्कर्ष आनंद, नंबर 9515100064, ईमेल आईडी: adesh@bankauctions.in से अभिलाइन प्रशिक्षण का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क नंबर (जोधपुर शाखा), श्री राकेश सिंह मो. 9001886747
3. ई-नीलामी बिक्री सरफेसी अधिनियम/नियम 2002 के निर्धारित शर्तों के अधीन है और यहां/वेबसाइट के नीचे उल्लिखित नियम और शर्तें इच्छुक/भावी बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव/बोली दस्तावेजों की शर्तों के अधीन हैं।
4. अभिलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए प्रत्येक बोलीदाता के पास अपना ईमेल पता होना आवश्यक है।
5. एक बार जब इच्छुक बोलीदाता औपचारिक रूप से जीआईसीएचएफ के अधिकृत अधिकारी के समक्ष एक योग्य निविदाकर्ता के रूप में पंजीकृत हो जाता है, तो उसे सत्यापन प्राप्त करके ई-नीलामी बोली सेवा के माध्यम से भाग लेने के लिए अपनी वैधता प्राप्त करनी होगी। ई-नीलामी सेवा प्रदाता से अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना निविदाकर्ता/अभिलाइन बोलीदाता की एकमात्र जिम्मेदारी होगी।
6. उपरोक्त संपत्तियों को ऊपर उल्लिखित आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
7. इच्छुक बोलीदाताओं को जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से उपरोक्त संबंधित आरक्षित मूल्यों का 10% धरोहर राशि (ईएमडी) जमा करना आवश्यक है। बैंक विवरण इस प्रकार है: बैंक का नाम: यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, खाता नंबर: 005111010000039 - खाता नाम: GIC Housing Finance Ltd Auction A/c, शाखा का नाम: एलसीबी फोर्ट, आईएफएससी कोड- UBIN0500511
8. सफल बोलीदाताओं के मामले में उक्त जमा राशि को समायोजित किया जाएगा, अन्यथा वापस कर दिया जाएगा। उक्त धरोहर राशि जमा पर कोई ब्याज नहीं लगेगा।
9. उपरोक्त जमा धरोहर राशि (ईएमडी) के साथ प्रस्ताव ईएमडी और पैन कार्ड और पते के प्रमाण सहित केवाईसी दस्तावेजों की स्वीर की गई प्रति के साथ पोर्टल https://bankauctions.in/ के माध्यम से 'अभिलाइन' जमा किया जा सकता है, सेवा प्रदाता को या बोली फॉर्म, ईएमडी और केवाईसी दस्तावेजों सहित सीलबंद कवर जमा करके और इसे जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के संबंधित शाखा कार्यालयों में पहुंचाना चाहिए।
10. कि, निविदाएं खोलने के बाद, इच्छुक बोलीदाताओं, जिन्होंने आरक्षित मूल्य से कम बोलियां जमा की हैं, को प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बोली राशि बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा।
11. सफल बोलीदाताओं को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार करने पर तुरंत, पहले से भुगतान की गई ईएमडी को समायोजित करते हुए, बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करना होगा, अन्यथा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। विक्रय मूल्य का शेष 75% बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी को देय होगा, ऐसा न करने पर जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। बिक्री मूल्य का शेष 75% केवल प्राधिकृत अधिकारी के विवेक पर बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर देय है। निर्धारित अवधि में शेष राशि जमा न करने की स्थिति में जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी। प्राधिकृत अधिकारी को सफल बोली लगाने वाले को जमीन का कोई और नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होगी।
12. बोलीदाता 'कैविएट एम्प्टर' (क्रेता सावधान) के सिद्धांत से बंधे हैं और उन्हें सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कर्ज का मूल्यांकन संपत्ति का भार, वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर, आवास, उन्नयन शुल्क, कम सब्सिडी, बिजली और स्वास्थ्य के दावों का पता लगाने के लिए अपनी उचित जांच करें। स